

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE
NEW DELHI

NOTIFICATION

F.No.11 (149)/2004/Power/---2386

Dated, the 28/Sept, 2006

ORDER

F.No.11 (149)/2004/Power/ . - In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001, (52 of 2001) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.593(E)/F.No.U-11030/1/2005-UTL dated the 24th April, 2006, the Lt. Governor of the of National Capital Territory of Delhi, hereby issues the following directions for efficient use of energy in the National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Mandatory use of Compact Fluorescent Lamps and Electronic Chokes in Government Buildings/Government Aided Institutions/Boards/Corporations. -**
 1. The use of incandescent lamps and conventional chokes in all new buildings/institutions constructed in Government sector/Government Aided sector/Boards and Corporations/Autonomous bodies is banned with immediate effect.
 2. It will be mandatory that in these existing buildings the defective incandescent lamps and chokes when replaced, would be replaced by only compact fluorescent lamps (CFL) and electronic chokes.
 3. Power utilities will effect necessary modification in the load demand notices within two months time from the date of issue of this order to promote the use of Compact


(.....Contd.- P/2)

Fluorescent Lamps and electronic chokes instead of conventional bulbs and chokes while releasing/sanctioning new connections/loads in such buildings.

2. Delhi Transeo Limited, notified as the State Designated Agency vide notification no. F.11 (149)/2004-Power/1753 dated 28.07.2006, is to see the implementation of the directions in Delhi; in terms of the provisions of the Section 15, 17 & 26 of the Energy Conservation Act, 2001.
3. Delhi Cantonment / MES / Defence Establishments shall endeavour to adopt the above measures.

The above orders shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,



(RAKESH MEHTA)

Principal Secretary (Power)

National Capital territory of Government of Delhi

(दिल्ली राजपत्र (भाग-4) असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(उर्जा विभाग)

दिल्ली सचिवालय, 8 वां तल, बी विंग

आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना

संख्या:-एफ-11(149)/2004-उर्जा/2386 दिनांक :-28.09.2006

आदेश

संख्या:-एफ-11(149)/2004-उर्जा/ - गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं० का.आ. 593(अ) फा-सं०-यू.11030/1/2005/यूटीएल के साथ पठित उर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 (2001 का 52) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा, दिल्ली में उर्जा के प्रभावी प्रयोग हेतु इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:-

1. सरकारी भवनों / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों / बोर्डों / निगमों में काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) का अनिवार्य उपयोग :-

(1) सरकारी सैक्टर / सरकारी सहायता प्राप्त सैक्टर / बोर्ड तथा निगमों / स्वायत्त निकायों में सभी नए निर्मित भवनों / संस्थानों में एन्कैन्डेसेंट बल्बों के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है ।

(2) यह अनिवार्य होगा कि विद्यमान भवनों में खराब इन्कैन्डेसेंट बल्बों को जब बदला जाए तो केवल काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) से ही बदला जाएगा ।

(3) ऐसे भवनों में विद्युत उपयोगिता में नए कनेक्शन अथवा नया लोड जारी / स्वीकृत करते समय पारम्परिक बल्ब के स्थान पर काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस आदेश के जारी होने के दो माह के अन्दर लोड डिमांड नोटिस में आवश्यक संशोधन करना होगा ।

2. दिल्ली में निर्देशों के कियान्वयन को देखने के लिए उर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के खण्ड 15,17 एवं 26 के प्रावधानों की शर्तों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को दिनांक 28.07.2006 की अधिसूचना संख्या एफ-11(149)/2004/उर्जा/1753 से राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया जाता है ।

3. दिल्ली कैंटूनमेंट / मिल्ट्री अभियांत्रिकी सेवा / रक्षा प्रतिष्ठान उपरोक्त उपायों को अपनाने का प्रयास करेंगे ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार व उनके नाम पर

(राकेश मेहता)

प्रधान सचिव (उर्जा)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF POWER
DELHI SECRETARIATION , I.P. ESTATE
NEW DELHI

NOTIFICATION

F.No.11 (149)/2004/Power/ 2387

Dated, the 28 Sep, 2006

ORDER


F.No.11 (149)/2004/Power/ : - In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001, (52 of 2001) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.593(E)/F.No.U-11030/1/2005-UTL dated the 24th April, 2006, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Mandatory use of Solar Water Heating Systems . - (1) The use of solar water heating systems will be mandatory in the following categories of buildings, namely:-
 - (i). Industries where hot water is required for processing;
 - (ii). Hospitals and Nursing homes including Government Hospitals;
 - (iii). Hotels, Motels or Banquet halls;
 - (iv). Jail Barracks ;
 - (v). Large Canteens having the capacity to serve more than one hundred persons in a day;
 - (vi). Corporate buildings located on plots having an area of Five Hundred square meters and above;
 - (vii). All residential buildings built on a plot having an area of Five Hundred square meters or above falling within the National Capital Territory of Delhi, excluding Delhi Cantonment Area or areas exempted under section 61 of the Energy Conservation Act, 2001.
 - (viii). All Government buildings, residential schools, educational colleges, hostels, technical or vocational education institutes, district institutes of education and training, tourism complexes and universities etc.
- (2) All departments of the Government of National Capital Territory of Delhi including Tihar Jail and other Jails and the Delhi Police, the MCD, NDMC shall amend their

rules/bye-laws within a period of six months from the date of issue of this order to make the use of solar water heating systems mandatory.

- (3) The Government departments mentioned in clause (2) shall designate a nodal officer to monitor and report the progress of enforcement of the Government decisions to the Agency designated under clause (d) of Section 15 of the aforesaid Act, for energy conservation of National Capital Territory of Delhi. The progress report shall be sent by the nodal officer on quarterly basis to the designated agency.
2. Mandatory use of ISI marked Motor pump sets, Power capacitor, Foot/Reflex valves in Agriculture Sector. - (i) For all new connections, the use of ISI marked pump sets and accessories, power Capacitors and other energy efficient appliances will be mandatory. This applies to all private and Government Sector/Government Aided Sector, Government/Semi-government Undertakings and Boards.
- (ii) All Discoms and the New Delhi Municipal Council shall make the amendments in the load demand notices for new connections within six months time from the date of issue of this order to ensure use of only ISI marked pumps, its accessories and other energy efficient appliances in the National Capital Territory of Delhi.
3. The designated agency shall ensure the implementation of these directions in the National Capital Territory of Delhi as per the provisions of the, Energy Conservation Act, 2001.
4. Delhi Cantonment / Military Engineering Service / Defence Establishments shall endeavour to adopt the above measures for efficient use of energy and its conservation.

By order and in the name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,



(RAKESH MEHTA)
Principal Secretary (Power)

(दिल्ली राजपत्र (भाग-4) असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(उर्जा विभाग)
दिल्ली सचिवालय, 8 वां तल, बी विंग
आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना

संख्या:-एफ-11(149)/2004-उर्जा/2387 दिनांक :-28.09.2006

आदेश

संख्या:-एफ-11(149)/2004-उर्जा/ - गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं० का.आ. 593(अ) फा-सं०-यू.11030/1/2005/यूटीएल के साथ पठित उर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 (2001 का 52) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा, दिल्ली में उर्जा के प्रभावी उपयोग हेतु इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:-

1. सौर जल तापीय प्रणाली का अनिवार्य उपयोग:-

(1) सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग भवनों की श्रेणियों पर अनिवार्य रूप से होगा, अर्थात् :-

- (क) उद्योगों में जहाँ प्रसंस्करण के लिए गर्म पानी अपेक्षित है ।
- (ख) अस्पतालों और नर्सिंग होम जिसमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं ।
- (ग) होटल, मोटल और समारोह हाल ।
- (घ) जेल बैरकें ।
- (ङ) वे बड़ी कौन्टीनें जिनकी क्षमता सौ से अधिक व्यक्तियों को सेवा उपलब्ध कराने की हो ।
- (च) निगमित भवन जिनका क्षेत्रफल पाँच सौ वर्गमीटर या इससे अधिक हो ।
- (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी आवासीय भवन जिनका क्षेत्रफल पाँच सौ वर्गमीटर या उससे अधिक हो, दिल्ली कैंडूनमेंट क्षेत्र को छोड़ते हुए या वे क्षेत्र जिनको उर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 61 के तहत छूट प्राप्त हो ।
- (ज) सभी सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, शैक्षणिक महाविद्यालयों, होस्टलों, तकनीकी या व्यवसायिक शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन परिसरों, और विश्वविद्यालय इत्यादि ।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वे समस्त विभाग जिसमें कि तिहाड़ जेल और दूसरी जेलें तथा दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् सम्मिलित हैं, को करते हुए इस आदेश के जारी होने की तिथि से छः माह के अन्दर सौर जल तापीय प्रणाली का उपयोग करने के उद्देश्य से अपने नियमों/उप-विधियों को संशोधित करेंगे ।

(3) खण्ड (2) में उल्लिखित सरकारी विभाग इन उपायों के संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी नामोद्दिष्ट करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उर्जा संरक्षण के लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (घ) के तहत नामोद्दिष्ट एजेंसी को इस बारे में प्रगति की रिपोर्ट देंगे। प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी द्वारा त्रैमासिक रूप से नामोद्दिष्ट एजेंसी को भेजी जाएगी।

2. कृषि क्षेत्र में आई.एस.आई. अंकित मोटर पम्प सैट, पॉवर कैपेसिटर, फुट/रिफ्लैक्स वाल्व का अनिवार्य उपयोग :-


(क) सभी नए कनैक्शनों के लिए आई.एस.आई. अंकित पम्प सैट तथा एक्सेसरीज, पावर कैपेसिटर्स तथा अन्य उर्जा प्रभावी उपकरण अनिवार्य होंगे। यह सभी निजी एवं सरकारी क्षेत्र / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्र, सरकारी / अर्धसरकारी उपकरणों और बोर्डों के लिए आवश्यक होगा।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल आई.एस.आई. अंकित पम्प सैट्स तथा अन्य प्रभावी उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करने लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से छः माह के अन्दर सभी निजी विद्युत वितरण कम्पनियाँ और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् नए कनैक्शनों के लोड डिमांड नोटिस में संशोधन करेंगे।

3. उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबन्धों के अनुसार नामोद्दिष्ट एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

4. दिल्ली कैंटूनमेंट / मिलिट्री इन्जीनियरिंग सर्विस / रक्षा प्रतिष्ठान उपरोक्त मापकों के तहत उर्जा के प्रभावी उपयोग तथा इसके संरक्षण के लिए उपरोक्त उपायों को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार व उनके नाम पर


(राकेश मेहता)

प्रधान सचिव (उर्जा)